कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान,उदयपुर

क्रमांक :– प 32(बी)(1)आब/एल/2018–19/ 2138 दिनांक :–10.02.2018

नवीनीकरण से शेष रही विदेशी मदिरा व बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण की सूचना

1 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018–19 हेतु राज्य के निम्नांकित जिलों में विर्निदिष्ट नगर निगम, नगर परिषद एवं नगरपालिका क्षेत्र में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के रिटेल ऑफ दुकानो के अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के विकल्प प्राप्त नही हुये है, इन **भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के रिटेल ऑफ दुकानो** के वर्ष 2018–19 के लिये निर्धारित प्रारूप में **नवीन आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते है :–**

क. सं.	नाम जिला	नवीनीकरण से शेष दुकानो की संख्या	क. सं.	नाम जिला	नवीनीकरण से शेष दुकानो की संख्या
1	हनुमानगढ	09	2	जयपुर शहर	03
3	जोधपुर	02	4	नागौर	03
5	श्रीगंगानगर	02			

2 इन दुकानों का आवेदन शुल्क निम्नानुसार होकर आवेदन शुल्क अप्रतिदाय योग्य (non–refundable) होगा :–

श्रेणी	आवेदन शुल्क रूपये में
वर्ष 2018–19 में रू. 10.00 लाख तक की वार्षिक लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस के योग) वाली दुकान	16,000/–
वर्ष 2018–19 में रू. 10.00 लाख से अधिक वार्षिक लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस के योग) वाली दुकान	22,000/–

3 नवीनीकरण से शेष रही इन भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर दुकानों की वार्षिक लाईसेन्स फीस की सूची/विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाईट **https://www. rajexciseapplication2017-18.org** एवं **https://rajexcise.gov.in** तथा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।

4 एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान आवंटित नही की जावेगी। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक दुकान हेतु आवेदन करता है तथा एक से अधिक दुकान हेतु उसका चयन हो जाता है तो उसे उसके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार दुकान आवंटित कर दी जायेगी तथा शेष दुकानों का आवंटन आरक्षित सूची में से वरिष्ठता के क्रम में किया जायेगा।

5 **समस्त आवेदन ऑनलाईन ही वेबसाइट https://www.rajexciseapplication2017-18.org एवं https://rajexcise.gov.in स्वीकार किये जाएँगें। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नही किये जायेगे। आवेदक को सर्वप्रथम, उक्त वेबसाइट पर उपलबध समस्त दिशा–निर्देश एवं शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।**

6 **आवेदन कम्प्यूटर/लैपटॉप को इन्टरनेट से जोड़ कर घर, कार्यालय, ई–मित्र सेन्टर तथा साइबर कैफे से भरे जा सकते है।**

7 इस सूचना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एंव शर्ते अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध दुकानों बाबत सूचना एवं दुकानों की निर्धारित सूची विभागीय वेबसाईट **https://www. rajexciseapplication2017-18.org** पर उपलब्ध है ।

8 **ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट https://www.rajexciseapplication2017-18.org एवं https://rajexcise.gov.in पर दिनांक 10.02.2018 से 24.02.2018 तक सांय 5.00 पीएम तक भरे जा सकते है। इसके पश्चात ऑनलाईन आवेदन करने का लिंक समाप्त हो जायेगा।**

9 जिस दुकान/दुकानों के लिए आवेदन किया जा रहा है उस दुकान/दुकानों की निर्धारित वार्षिक राशि की 1 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में जमा कराना आवश्यक होगा जो आवेदक के पक्ष में स्वीकृति जारी होने पर बेसिक लाईसेन्स फीस पेटे समायोजन की जा सकेगी।

8

10 आवेदक द्वारा जिले में अधिकतम अमानत राशि वाली दुकान की अमानत राशि के बराबर एक बारीय (One time) अमानत राशि जमा कराई जा सकेगी। आवेदक इस जमा अमानत राशि के आधार पर उस जिले में प्रत्येक आवेदन पर उस दुकान हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। एक दुकान के लिये एक से अधिक आवेदन अथवा अलग-अलग दुकान के लिये एक अथवा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेगे। प्रत्येक आवेदन के लिये जमा कराया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदाय (Non refundable) होगा।

11 अलग-अलग जिलों में आवेदन प्रस्तुत करने के लिये सम्बन्धित जिले की अधिकतम अमानत राशि वाली दुकान की अमानत राशि के बराबर अमानत राशि जमा कराने पर ही सम्बन्धित जिले में उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत आवेदन मान्य होगा।

12 जिले में एक आवेदक द्वारा किसी एक दुकान के लिये एक ही आवेदन किया जाता है तो उसे सम्बन्धित दुकान के लिए निर्धारित अमानत राशि ही जमा करानी होगी।

13 आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि इन्टरनेट बैकिंग/ई-ग्रास चालान/डिमान्ड ड्राफ्ट /जी0ए0-55 के माध्यम से जमा कराये जा सकते है।

14 ऑनलाईन आवेदन के पश्चात उक्त विभागीय साईट से आवेदक द्वारा आवेदन पत्र का A4 साईज के 70 जी.एस.एम. (GSM) के सादे कागज पर प्रिन्ट लिया जायेगा।

15 आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि का इन्टरनेट बैकिंग से ऑनलाईन भुगतान करने वाले आवेदको के अलावा अन्य सभी आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन के पश्चात उसकी प्रिन्टेड़ कॉपी को ऑनलाईन आवेदन करने के तीन दिवस अथवा 26.02.2018 को 5 पीएम तक, जो भी पहले हो, तक आवेदन शुल्क तथा अमानत राशि के चालान/ डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करते हुए सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य अथवा विशेष परिस्थिति में उक्त प्रिन्टेड़ कॉपी प्रस्तुत करने की उपरोक्त निर्धारित समय सीमा में छूट दी जा सकेगी, लेकिन किसी भी **परिस्थिति में ये प्रिन्टेड़ कॉपी 26.02.2018 को 5 पीएम के बाद स्वीकार्य नही होगें।**

16 इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ आवेदक की पहचान स्वरूप ड्राईविंग लाईसेन्स/ आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड/निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो आइडेन्टिटी कार्ड/आधार कार्ड इत्यादि में से **किसी एक दस्तावेज की स्वः प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।**

17 किसी नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम अथवा उसके जोन हेतु दुकानों की निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। **लॉटरी राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यो के समक्ष दिनांक 27.02.2018 को प्रातः 11.00 बजे जिला मुख्यालयों पर निकाली जायेगी।** लॉटरी निकालने के स्थान की जानकारी/सूचना जिला कलक्टर एंव सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जावेगी।

18 जिन आवेदन पत्रो के साथ आवेदन शुल्क, निर्धारित अर्नेस्टमनी एवं पहचान का प्रमाण संलग्न नही किया गया है उनको लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जावेगा।

19 आगामी आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष 2018-19 (दिनांक 1-4-2018 से दिनांक 31-3-2019) के लिये होगी।

20 आवेदन आमत्रंण के सम्बन्ध में अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट **https://www.rajexciseapplication2017-18.org** उपलब्ध होकर इस हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान,उदयपुर

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक :– प 32(बी)(1)आब/एल/2018–19/ 2139 दिनांक :–10.02.2018

नवीनीकरण से शेष रहे देशी मदिरा समूह/दुकान के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण की सूचना

1 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018–19 हेतु राज्य के निम्नांकित जिलों में देशी मदिरा समूहों/दुकानो के अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के विकल्प प्राप्त नही हुये है, इन देशी मदिरा समूहों/दुकानो के वर्ष 2018–19 के लिये निर्धारित प्रारूप में नवीन आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते है :–

क्र. सं.	नाम जिला	नवीनीकरण से शेष रहे समूहों की संख्या	क्र. सं.	नाम जिला	नवीनीकरण से शेष रहे समूहों की संख्या
1	अजमेर	181	2	अलवर	18
3	बांसवाडा	10	4	बांरा	19
5	बाडमेर	02	6	भरतपुर	03
7	भीलवाडा	48	8	बीकानेर	47
9	बून्दी	21	10	चित्तौडगढ	17
11	चूरू	05	12	दौसा	07
13	धौलपुर	01	14	डूंगरपुर	08
15	हनुमानगढ	147	16	जयपुर शहर	66
17	जयपुर ग्रामीण	38	18	जालौर	03
19	झालावाड	11	20	झुन्झुनूं	12
21	जोधपुर	50	22	करौली	11
23	कोटा	35	24	नागौर	47
25	पाली	30	26	प्रतापगढ	02
27	राजसमन्द	03	28	स.माधोपुर	16
29	सीकर	78	30	सिरोही	30
31	श्रीगंगानगर	211	32	टोंक	13
33	उदयपुर	18			

2 नवीनीकरण से शेष रही इन देशी मदिरा समूहों/दुकानो की सूची/विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाईट **https://www.rajexciseapplication2017-18.org** एवं **https:// rajexcise.gov.in** तथा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।

3 **समस्त आवेदन ऑनलाईन ही वेबसाइट https://www.rajexciseapplication2017-18.org एवं https://rajexcise.gov.in द्वारा स्वीकार किये जाएंगें। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नही किये जायेगे। आवेदक को सर्वप्रथम, उक्त वेबसाइट पर उपलबध समस्त दिशा–निर्देश एवं शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।**

4 **आवेदन कम्प्यूटर/लैपटॉप को इन्टरनेट से जोड़ कर घर, कार्यालय, ई–मित्र सेन्टर तथा साइबर कैफे से भरे जा सकते है।**

5 एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान/दुकान समूह आवंटित नही किये जायेगें। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक दुकानो/दुकान समूहो हेतु आवेदन करता है तथा एक से अधिक दुकान/दुकान समूह हेतु उसका चयन हो जाता है तो उसे वह दुकान/दुकान समूह आवंटित किये जायेगे जिसके लिए सबसे कम आवेदन प्राप्त हुए हो। दुकान/दुकान समूह हेतु समान संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे आवेदक को वह दुकाने/दुकान समूह आवंटित किये जायेगे जिसकी वार्षिक राशि अधिक हो।

6 इस सूचना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एंव शर्ते तथा अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध समूहों/दुकानों बाबत सूचना एवं समूहों/दुकानों की सूची विभागीय वेबसाईट **https://www.rajexciseapplication2017-18.org** पर उपलब्ध है।

7 ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट **https://www.rajexciseapplication2017-18.org** एवं **https://rajexcise.gov.in** पर दिनांक 10.02.2018 से 24.02.2018 तक सांय 5.00 पीएम तक भरे जा सकते है। इसके पश्चात ऑनलाईन आवेदन करने का लिक समाप्त हो जायेगा।

8 **जिस दुकान/दुकानों समूह के लिए आवेदन किया जा रहा है उस दुकान/दुकान समूह का निर्धारित वार्षिक राशि की 1 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में जमा कराना आवश्यक होगा जो आवेदक के पक्ष में स्वीकृति जारी होने पर धरोहर राशि पेटे समायोजन की जा सकेगी।**

9 आवेदक द्वारा एक जिले में अधिकतम अमानत राशि वाली समूह की अमानत राशि के बराबर एक बारीय (One time) अमानत राशि जमा कराई जा सकेगी। आवेदक इस जमा अमानत राशि के आधार पर उस जिले में प्रत्येक आवेदन पर उस दुकान हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। इस प्रकार एक समूह के लिये एक से अधिक आवेदन अथवा अलग-अलग समूह के लिये एक एवं एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेगे। प्रत्येक आवेदन के लिये जमा कराया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदाय (Non refundable) होगा।

10 अलग-अलग जिलों में आवेदन प्रस्तुत करने के लिये सम्बन्धित जिले की अधिकतम अमानत राशि वाले समूह की अमानत राशि के बराबर अमानत राशि जमा कराने पर ही सम्बन्धित जिले में उपरोक्त बिन्दु संख्या (i) के अनुसार आवेदन मान्य होगा।

11 जिले में एक आवेदक द्वारा किसी एक समूह के लिये एक ही आवेदन किया जाता है तो उसे सम्बन्धित समूह के लिए निर्धारित अमानत राशि ही जमा करानी होगी।

12 **आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि इन्टरनेट बैकिंग/ई-ग्रास चालान/डिमान्ड ड्राफ्ट/जी0ए0-55 रसीद के माध्यम से जमा कराये जा सकते है।**

13 ऑनलाईन आवेदन के पश्चात उक्त विभागीय साईट से आवेदक को आवेदन पत्र का A4 साईज के 70 जी.एस.एम. (GSM) के सादे कागज पर प्रिन्ट लिया जायेगा।

14 आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि का इन्टरनेट बैकिंग से ऑनलाईन भुगतान करने वाले आवेदको के अलावा अन्य सभी आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन के पश्चात उसकी प्रिन्टेड़ कॉपी को ऑनलाईन आवेदन करने के तीन दिवस अथवा **26.02.2018 को 5 पीएम**, जो भी पहले हो, तक आवेदन शुल्क तथा अमानत राशि के चालान/ डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करते हुए सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य अथवा विशेष परिस्थिति में उक्त प्रिन्टेड़ कॉपी प्रस्तुत करने की उपरोक्त निर्धारित समय सीमा में छूट दी जा सकेगी, लेकिन किसी भी **परिस्थिति में ये प्रिन्टेड़ कॉपी 26.02.2018 को 5 पीएम के बाद स्वीकार्य नही होगें।**

15 इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ आवेदक की पहचान स्वरूप ड्राईविंग लाईसेन्स/ आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड/निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो आइडेन्टिटी कार्ड/आधार कार्ड इत्यादि में से **किसी एक दस्तावेज की स्वः प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।**

16 किसी दुकान/दुकान समूह हेतु एकाधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। **लॉटरी राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यो के समक्ष दिनांक 27.02.2018 को प्रातः 11.00 बजे** जिला मुख्यालय पर निकाली जायेगी जो आवश्यकता होने पर आगामी कार्यदिवस को भी जारी रहेगी।

17 देशी मदिरा समूहों (डूगरपुर एवं बांसवाडा जिलों को छोडकर) हेतु आवेदन शुल्क (अप्रतिदाय योग्य) निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

श्रेणी	आवेदन शुल्क रूपये में
वर्ष 2018-19 के लिये 10 लाख रूपये तक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	16000
वर्ष 2018-19 के लिये 10 लाख रूपये से अधिक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	21000

18 देशी मदिरा समूहों डूंगरपुर एवं बांसवाडा जिलों के लिये हेतु आवेदन शुल्क (अप्रतिदाय योग्य) निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

श्रेणी	आवेदन शुल्क रूपये में
वर्ष 2018-19 के लिये 10 लाख रूपये तक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	7000
वर्ष 2018-19 के लिये 10 लाख रूपये से अधिक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	11000

19 जिन आवेदन पत्रो के साथ आवेदन शुल्क, निर्धारित अर्नेस्टमनी एवं पहचान का प्रमाण संलग्न नही किया गया है उनको लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जावेगा।

20 आगामी आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष 2018–19 (दिनांक 1–4–2018 से दिनांक 31–3–2019) के लिये होगी।

21 आवेदन आमत्रंण के सम्बन्ध में अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट **https://www.rajexciseapplication2017-18.org** उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान,उदयपुर